भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3877

जिसका उत्तर 18 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है ।

27 अग्रहायण, 1946 (शक)

ग्रीनफील्ड ईएमसी

3877.श्री डग्गुमल्ला प्रसाद राव:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रोनिक्स संघटकों के आयात को विनियमित करने और इलेक्टोनिक्स संघटकों के निर्यातोन्मुखी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) देश में 'इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण क्लस्टर' (ईएमसी) योजना के अंतर्गत अनुमोदित 'ग्रीनफील्ड ईएमसी' और सामान्य सुविधा केन्द्रों की राज्यवार कुल कितनी है;

(ग) ईएमसी 2.0 योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इसके लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं;

(घ) प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए कुल कितनी विदेशी कंपनियों को अनुमति दी गई है और इसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) भारत को 'इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन' और विनिर्माण (ईएसडीएम) केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इनमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क):इलेक्ट्रॉनिकीघटकविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोव्यापकऔरगहराबनानेकेलिए, भारतसरकारनेइलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरअर्धचालकोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) औरबड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकेलिएउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई) नामकयोजनाएंशुरूकीहैं। एसपीईसीएस के अंतर्गतदेशमेंइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोमजबूतकरनेकेलिएइलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमीकंडक्टर्सकेघरेलूविनिर्माणकीडिसेबिलिटी को दूर करने के लिएपूंजीगतव्ययपर 25% कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकरने की व्यवस्था की गयीहै। इसीतरह, उत्पादनऔरनिर्यातकोबढ़ानेकेलिए,मोबाइलफोनऔरइलेक्ट्रॉनिकउपकरणोंकेलक्षितखंडकेलिएबड़ेपैमाने परइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकेलिएपीएलआई 5 वर्षकीअवधिकेलिएलक्षितसेजमेंटकोवृद्धिशीलबिक्रीपर 6% से 4% काप्रोत्साहनदेने की व्यवस्था की गयी है। नियामकढांचेकोमजबूतकरनेऔरभारतकोइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्षेत्र में एक वैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकरनेहेतुसरकारद्वाराकिएगएउपायोंको**अनुबंध-I** मेंदर्शायागयाहै।

(ख):इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) नेइलेक्ट्रॉनिकीसिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्रमेंनिवेशआकर्षितकरनेकेलिएविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकरनेहेतु 22 अक्टूबर 2012 कोइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी) योजनाअधिसूचितकी गयी थी। 21 अक्टूबर, 2017 सेइसयोजनाकेलिएआवेदनप्राप्तकरनाबंदकरदियागयाथा। इस योजना केतहत, देशभरकेपंद्रह (15) राज्योंमें 1,470 करोड़रुपयेकेकेंद्रीयअनुदानसहित 3,499 करोड़रुपयेकीपरियोजनालागतकेसाथ 3,464 एकड़क्षेत्रमें 19 ग्रीनफील्डईएमसीऔर 3 सामान्यसुविधाकेंद्र (सीएफसी) स्थापित करने के बारे में मंजूरीदीगईथी। राज्यवारब्यौरा**अनुबंध-II** मेंदिया गयाहै।

(ग): 01.04.2020 कोअधिसूचितसंशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजनाकेतहत, इलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीमंत्रालय (एमईआईटीवाई) कोआंध्रप्रदेशकेकडप्पाजिलेकेकोप्पर्थीमें 540 एकड़क्षेत्रमेंईएमसीपरियोजनाकीस्थापनाकेलिएमैसर्सआंध्रप्रदेशऔद्योगिकअवसंरचनानिगम (एपीआईआईसी) सेएकआवेदनप्राप्तहुआहै। इसे 18.03.2021 को 748.76 करोड़रुपयेकीपरियोजनालागतकेसाथमंजूरीदीगईहै, जिसमें 350.00 करोड़रुपयेकीकेंद्रीयवित्तीयसहायताशामिलहै।

(घ):अप्रैल 2019 के बाद से भारतकोइलेक्ट्रॉनिकीक्षेत्रकी 356 कंपनियोंसे 3,290 मिलियनअमेरिकीडॉलरकीएफडीआईप्राप्तहुईहै। 2019-20 के बाद सेप्राप्तएफडीआईकीवित्तीयप्रगतिइसप्रकारहै:

वित्तीयवर्ष	**निवेश (मिलियनअमेरिकीडॉलरमें)**
2019-20	422.37
2020-21	375.31
2021-22	416.99
2022-23	539.96
2023-24	695.75
2024-25 (Q2 अब तक)	839.57
कुल	**3289.94**
	स्रोत: एफडीआईसेल, डीपीआईआईटी

(ङ):भारतकोएक वैश्विकइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकेंद्रकेरूपमेंस्थापित करनेकेलिएसरकारद्वाराअपनाईगईनीतियोंऔरयोजनाओंको**अनुबंध-III** में दर्शाया गया है।इननीतिगतहस्तक्षेपोंकेपरिणामस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकाघरेलूउत्पादन2014-15 में 1.90 लाखकरोड़रुपये (30 बिलियनअमेरीकी डॉलर) सेबढ़कर 2023-24 में 17% सेअधिककीसीएजीआरपर 9.52 लाखकरोड़रुपये (115 बिलियन अमेरीकी डॉलर) होगयाहै। इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकानिर्यात2014-15 में 38,263 करोड़रुपये (5.7 बिलियनअमेरीकी डॉलर) सेबढ़कर 2023-24 में 2.41 लाखकरोड़रुपये (29.1 बिलियनअमेरीकी डॉलर) होगयाहै, जो 20% सेअधिककीसीएजीआर दरपरबढ़रहाहै।

****

अनुबंध- I

देशमेंइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणकेलिएनियामकवातावरणमेंसुधारकेलिएनिम्नलिखितसुधारकिएगएहैं:

1. **प्रमाणनमेंअधिकलचीलेपनकेलिएअनिवार्यपंजीकरणआदेश:** यहसुनिश्चितकरनेकेलिएकिदेशमेंनिर्मितइलेक्ट्रॉनिकउत्पादसुरक्षामानकोंकेअनुरूपहैं, सरकारनेबीआईएसअधिनियम 2016 केतहतबीआईएसअनुरूपतामूल्यांकनविनियमन, 2018 कीयोजना-II केअनुसारइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकीसामान (अनिवार्यपंजीकरणकीआवश्यकता) आदेश, 2021 कीअनुसूचीकेतहतइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकोअधिसूचितकियाहै। ब्यौराएमईआईटीवाईकीवेबसाइट (http://एमईआईटीवाई.gov.in/esdm/standards) परउपलब्धहैं।

2. **चरणबद्धविनिर्माणकार्यक्रम (पीएमपी):** सेलुलरमोबाइलहैंडसेट, कलाईमेंपहननेयोग्यउपकरण (जिन्हेंआमतौरपरस्मार्टघड़ियोंकेरूपमेंजानाजाताहै) औरसुननेयोग्यउपकरणतथाउनकेउप-संयोजनों/इनपुटों/भागों/उप-भागोंमेंघरेलूमूल्यसंवर्धनकोबढ़ावादेनेकेलिएपीएमपीकोअधिसूचितकियागयाहै।

3. **सार्वजनिकखरीदआदेश (पीपीओ):** सार्वजनिकखरीदआदेश के अंतर्गतकी जाने वालीखरीदमेंघरेलूस्तरपरनिर्मितउत्पादोंकोप्राथमिकतादी जाती है, ताकिस्थानीयमूल्यसंवर्धनमेंउत्तरोत्तरवृद्धिकरकेघरेलूउद्योगकीक्षमताओंकोबढ़ायाजासके, जिससेआत्मनिर्भरताकेव्यापकलक्ष्यको पूरा किया जासके।

4. **सीएचआईएमपोर्टलपरअनिवार्यपंजीकरणकोबंदकरनेकेलिएआयातनीतिमेंसंशोधन:** डीजीएफटीनेअधिसूचना 41/2024-25 दिनांक 29.11.2024 केमाध्यमसेआईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-1 (आयातनीति) केअध्याय 85 केअंतर्गतआनेवालेसेमीकंडक्टरचिप्सकेआयातकेलिएआईटीसीएचएसकोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 और 85423300 केलिएचिपआयातनिगरानीप्रणाली (सीएचआईएम) केतहतअनिवार्यपंजीकरणकोबंदकरदियाहै। इससेइलेक्ट्रॉनिकीऔरसेमीकंडक्टरपारिस्थितिकीतंत्रकेलिएव्यापारकरनेमेंआसानीबढ़ेगी।

5. **100% प्रत्यक्षविदेशीनिवेश (एफडीआई)** : मौजूदाएफडीआईनीतिकेअनुसार, इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माण (भारतकेसाथभूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोछोड़कर) केलिएस्वचालितमार्गकितहत 100% तकएफडीआईकीअनुमतिहै, जोलागूकानूनों/नियमों; सुरक्षाऔरअन्यशर्तोंकेअधीनहै। भूमिसीमासाझाकरनेवालेदेशोंकोएफडीआईकीमंजूरीप्रेसनोट 3 (पीएन 3) अधिसूचनाकेमाध्यमसेदीजारहीहै।

6. **पीएलआईक्षेत्रकेलिएवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसरलबनाना:** सरकारनेइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणकेलिएपीएलआईअनुमोदितकंपनियोंसेपीएलआईक्षेत्रकेअंतर्गत आनेवालीकिसीभीकंपनीकेलिएपीएलआईव्यवसायवीज़ाजारीकरनेकीप्रक्रियाकोसंशोधितऔरविस्तारितकियाहै। इसकेअलावा, पीएलआईव्यवसायवीज़ाकेलिएआवेदनकरनेकीप्रक्रियाकोपूरीतरहसेऑनलाइनकरदियागयाहै।

7. **इलेक्ट्रॉनिकीमूल्यश्रृंखलाऔरएमओडब्लूआरइकाइयोंमेंरियायतीदर (आईजीसीआर) परमालकेआयातपरस्पष्टीकरण:** CBIC नेपरिपत्रसंख्या 26/2024-सीमा शुल्कदिनांक 21.11.2024 केमाध्यमसेस्पष्टकियाकिमध्यवर्तीमालनिर्माताद्वाराआयातकिएजारहेसामानजोकिसेलुलरमोबाइलफोनकेअंतिमनिर्माताकोकुछविनिर्माण/मूल्यसंवर्धनकेबादआगेकीआपूर्तिकेलिएएमओडब्लूआरइकाईहै, आईजीसीआरनियम, 2022 केतहतशुल्ककीरियायतीदरकेलाभकेलिएविधिवतपात्रहैं, जबतककिअन्यसभीशर्तेंपूरीहोतीहैं। इसकेअलावा, यहभीस्पष्टकियागयाहैकिएमओडब्लूआरइकाईअबआईजीसीआरछूटकेसाथ-

साथशुल्कस्थगनकालाभउठासकतीहै,
बशर्तेकिवहआईजीसीआरनियमोंऔरएमओडब्लूआरप्रावधानोंमेंनिर्धारितशर्तोंकाअनुपालनकर ती हो।

8. **धारा 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/धारा 65 इकाईमेंमालकीआवाजाहीपरस्पष्टीकरण:** सीबीआईसीनेनिर्देशसंख्या 16/2024- सीमाशुल्कदिनांक 25.06.2024 केतहतस्पष्टकियाहैकिधारा 65 इकाईसेदूसरेगोदाम/धारा 65 इकाईमेंपरिणामीमालकेहस्तांतरणकीअनुमतिएमओडब्ल्यूआरकेतहतनिर्धारितशर्तोंकेअनुपालन केअधीनहै।

9. **श्रव्यऔरधारणयोग्यवस्तुओंकेविनिर्माणकासमर्थनकरनेकेलिएसंशोधन:** सीबीआईसीनेअधिसूचनासंख्या 33/2023-सीमा शुल्कदिनांक 27.04.2023 केतहतश्रव्यऔरपहननेयोग्यवस्तुओंकीपीएमपीअधिसूचनामेंसंशोधनकिया, जिसमेंकहागयाकिसीमाशुल्कअधिनियम, 1975 कीपहलीअनुसूचीकीव्याख्याकेसामान्यनियमोंकेनियम 2 (क) काप्रावधानघटकों/इनपुट/भागों/उप-भागोंकेआयातपरलागूनहींहोगा, चाहेऐसेसामानएकसाथप्रस्तुतकिएगये हों।

10. **टैरिफसंरचनाको युक्तिसंगत बनाना:** इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेघरेलूविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकेलिएटैरिफसंरचनाकोयुक्तिसंगतबनायागया है, जिसमेंअन्यबातोंकेसाथ-साथसेलुलरमोबाइलफोन, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिकघटक, टीवीकेलिएसेटटॉपबॉक्स, एलईडीउत्पादऔरमेडिकलइलेक्ट्रॉनिकीउपकरणशामिलहैं।

11. **पूंजीगतवस्तुओंपरमूलसीमाशुल्कसेछूट**: निर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंको "शून्य" मूलसीमाशुल्कपरआयातकीअनुमतिहै।

12. **प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात**: इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणउद्योगद्वाराउपयोगकेलिएकमसेकम 5 वर्षोंकेअवशेषजीवनवालेप्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकेआयातकोपर्यावरण, वनऔरजलवायुपरिवर्तनमंत्रालयकीअधिसूचनादिनांक 11.06.2018 केअनुसार।खतरनाकऔरअन्यअपशिष्ट (प्रबंधनऔरसीमापारआवागमन) नियम, 2016 मेंसंशोधनकेमाध्यमसेसरलबनायागयाहै।

अनुबंध- II

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजेंसी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
1	**आंध्रप्रदेश**	श्रीसिटी, सत्यवेदुमंडल, चित्तौड़जिला	94	श्रीसिटीईएमसीप्राइवेट लिमिटेड	56.75	27.34
2		ईएमसी-1@तिरुपति, रेनिगुंटाऔरयेरपाडुमंडल,	113.27	आंध्रप्रदेशऔद्योगिकअवसंरचनानिगमलिमिटेड (एपीआईआईसी)	74.27	37.14

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजेंसी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
		चित्तौड़जिला				
3		ईएमसी-II @तिरुपति, विक्रुतमालागांव, येरपाडुमंडल, चित्तौड़जिला	501.40		248.90	98.46
4	**असम**	बोंगोरा, कामरूप जिला, असम	100	असमइलेक्ट्रॉनिकीविकासनिगमलिमिटेड (AMTRON)	119.85	50.00
5	**छत्तीसगढ**	सेक्टर-22, नयारायपुर	116.48	छत्तीसगढ़राज्यऔद्योगिकविकासनिगमलिमिटेड (सीएसआईडीसी)	103.88	43.08
6	**गोवा**	तुएम, उत्तरगोवा जिला	147.55	विभाग ,गोवासरकार	161.32	73.77
7	**गुजरात**	मुंद्रा, कच्छजिला	631.38	मुंद्रासोलरटेक्नोपार्कप्राइवेटलिमिटेड (एमएसटीपीएल)	745.14	315.69
8	**झारखंड**	आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां जिला	82.49	झारखंडऔद्योगिकक्षेत्रविकासप्राधिकरण (JIADA)	97.88	41.48
9	**केरल**	कक्कनाड, एर्नाकुलम जिला	66.87	केरलऔद्योगिकअवसंरचनाविकासनिगम (KINFRA)	35.06	15.89
10	**मध्यप्रदेश**	बड़वई-भोपाल	50	मध्यप्रदेशराज्यइलेक्ट्रॉनिकीविकासनिगमलिमिटेड(एमपीएसईडीसी)	47.19	20.86
11		पूर्वा-जबलपुर	40		38.57	17.76
12	**ओडिशा**	इन्फोवैली, भुवनेश्वर औद्योगिक क्षेत्र, खुर्दाजिला	203.37	ओडिशाऔद्योगिकविकासनिगम (आईडीसीओ)	200.76	93.09
13	**राजस्थान**	सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र,	50.3	एल्सीनाइलेक्ट्रॉनिकीमैन्युफैक्चरिंगक्लस्टरप्राइवेटलिमिटेड	46.09	20.24

क्र.सं.	राज्य	स्थान	क्षेत्रफल (एकड़में)	क्रियान्वयनएजेंसी	वित्तीयपरिव्यय (करोड़रुपएमें)	
					परियोजना लागत	सहायता अनुदार
		खुशकेरा, भिवाड़ी		(ईईएमसीपीएल)		
14		करोलीऔद्योगिकक्षेत्र, भिवाड़ी ,जिला-अलवर	121.51	राजस्थानराज्यऔद्योगिकविकासएवंनिवेशनिगमलिमिटेड (आरआईआईसीओ)	29.13	11.49
15	**तेलंगाना**	ई-सिटी, हैदराबाद	603.52	तेलंगानाराज्यऔद्योगिकअवसंरचनानिगम (TSIIC)	667.6	252.42
16		महेश्वरम, रंगारेड्डी	310.70		436.97	138.6
17	**उत्तरप्रदेश**	इकोटेक-VI औद्योगिकक्षेत्र, ग्रेटरनोएडा	99.41	टेगना**इलेक्ट्रॉनिकी**प्राइवेटलिमिटेड (टीईपीएल)	115.32	50.00
18	**पश्चिमबंगाल**	फाल्टा, दक्षिण 24 परगनाजिला	58.04	पश्चिमबंगालइलेक्ट्रॉनिकीउद्योगविकासनिगमलिमिटेड (WEBEL)	58.86	25.64
19		नैहाटी, उत्तर 24 परगनाजिला	70		58.31	25.7
20	**कर्नाटक (सीएफसी)**	हेब्बलऔद्योगिकक्षेत्र, मैसूर	1.50	मैसूरईएसडीएमक्लस्टर	48.53	32.31
21	**महाराष्ट्र (सीएफसी)**	शेन्द्राऔद्योगिकक्षेत्र, औरंगाबाद जिला	1.98	देवगिरीइलेक्ट्रॉनिकीक्लस्टरप्राइवेटलिमिटेड (डीईसीपीएल)	41.09	29.29
22		पिंपरीऔद्योगिकक्षेत्र, पुणे	0.61	एमसीसीआईएइलेक्ट्रॉनिकक्लस्टरफाउंडेशन (एमईसीएफ)	67.00	50.00
		कुल	**3,464.38**		**3,499.63**	**1,470.25**

अनुबंध- III

राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकीनीति 2019 : राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकीनीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 कोअधिसूचितकियागयाहै। एनपीई 2019 काउद्देश्यचिपसेटसहितमुख्यघटकोंकेविकासकेलिएदेशमेंक्षमताओंकोप्रोत्साहितऔरसंचालितकरकेभारतको इलेक्ट्रॉनिकीसिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) केलिएएकवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकरनाहै, औरउद्योगकेलिएवैश्विकस्तरपरप्रतिस्पर्धाकरनेकेलिएएकसक्षमवातावरणबनानाहै।
इलेक्ट्रॉनिकीमूल्यश्रृंखलामेंबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेऔरप्रोत्साहितकरनेतथानिर्यातकोबढ़ावादेनेकेलिएनिम्न लिखितयोजनाएंऔरहस्तक्षेपकिएगएहैं:

1. **सेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासकेलिएकार्यक्रम**:
इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकोव्यापकऔरगहराबनानेकेलिए, केंद्रीयमंत्रिमंडलने 15.12.2021 कोसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपये (> 10 बिलियनअमरीकीडॉलर) केपरिव्ययकेसाथएकव्यापककार्यक्रमकोमंजूरीदी। कैबिनेटकीमंजूरीकेसाथ, इसकार्यक्रमकोहालहीमें 21.09.2022 कोसंशोधितकियागयाहै। संशोधितकार्यक्रमप्रौद्योगिकीनोड्सकेसाथ-साथमिश्रितसेमीकंडक्टर, पैकेजिंगऔरअन्यसेमीकंडक्टरसुविधाओंकेलिएसेमीकंडक्टरफ़ैब्सकेलिएसमानरूपसेपरियोजनाला गतका 50% राजकोषीयसमर्थनप्रदानकरताहै।
पात्रआवेदकोंकेलिएअबनिम्नलिखितवित्तीयप्रोत्साहनउपलब्धहैं:
   - **सेमीकंडक्टरफ़ैबकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: यहदेशमेंसेमीकंडक्टरवेफ़रनिर्माणसुविधाएँस्थापितकरनेकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै। सभीप्रौद्योगिकीनोड्समेंसिलिकॉन-आधारितसेमीकंडक्टरफ़ैबकीस्थापनाकेलिएपरियोजनालागतका 50% वित्तीयसहायताउपलब्धहै।
   - **डिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: यहटीएफटी एलसीडी/ एएमओएलईडीआधारितडिस्प्लेफैब्रिकेशनसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकर तीहै। यहपरियोजनालागतका 50% वित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।
   - **भारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर / सिलिकॉनफोटोनिक्स / सेंसरफैब / डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैब्सऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी / ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**: यहभारतमेंकम्पाउंडसेमीकंडक्टर / सिलिकॉनफोटोनिक्स (एसआईपीएच) / सेंसर (एमईएमएससहित) फैब / डिस्क्रीटसेमीकंडक्टरफैब्सऔरसेमीकंडक्टरएटीएमपी / ओएसएटीसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएपात्रआवेदकोंकोपूंजीगतव्ययका 50% राजकोषीयसमर्थनप्रदानकरतीहै।
   - **डिजाइनलिंक्डप्रोत्साहनयोजना**: यहआईसी, चिपसेट, एसओसी, सिस्टमऔरआईपीकोरऔरसेमीकंडक्टरलिंक्डडिजाइनकेलिएसेमीकंडक्टरडिजाइनकेविकास औरपरिनियोजनकेविभिन्नचरणोंमेंवित्तीयप्रोत्साहन, डिजाइनबुनियादीढांचेकासमर्थनप्रदानकरतीहै। यहयोजना "उत्पादडिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन" और "परिनियोजनलिंक्डप्रोत्साहन" दोनोंप्रदानकरतीहै।

2. **बड़ेपैमानेपर**इलेक्ट्रॉनिकी**विनिर्माणकेलिएउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई) को 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकियागयाथा,** ताकिमोबाइलफोनविनिर्माणऔरअसेंबली, परीक्षण, मार्किंगऔरपैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयोंसहितनिर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकघटकोंकेविनिर्माणमेंशामिलपात्रकंपनियोंकोवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षकीतुलनामें) पर 4% से 6% काप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके।
3. **आईटीहार्डवेयरकेलिएउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई):**03 मार्च, 2021 कोअधिसूचितकीगईथी, जिसकाउद्देश्यपात्रकंपनियोंकोचार (4) वर्षकीअवधिकेलिएभारतमेंनिर्मितऔरलक्षितखंडकेअंतर्गतआनेवालेसामानोंकीशुद्धवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षकीतुलनामें) पर 4% से 2% / 1% काप्रोत्साहनप्रदानकरनाहै।

पीएलआईयोजनाकेतहतलक्षितखंडमें (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वनपीसीऔर (iv) सर्वरशामिलहैं।

आईटीहार्डवेयरकेलिएउत्पादनसेजुड़ीप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई) 2.0: आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0 को29 मई, 2023 को 17,000 करोड़केबजटीयपरिव्ययकेसाथअधिसूचितकियागयाहै, जो6 वर्षोंकीअवधिकेलिएलक्षितखंडउत्पादोंकीशुद्धवृद्धिशीलबिक्री (आधारवर्षकीतुलनामें) परलगभग 5% काऔसतप्रोत्साहनप्रदानकरताहै। लक्षितखंडउत्पादोंमेंशामिलहैं: लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसी, सर्वरऔरअल्ट्रास्मॉलफॉर्मफैक्टर।

4. **इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमीकंडक्टरकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) को 01 अप्रैल, 2020:**कोअधिसूचितकियागयाथा, ताकिइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकीडाउनस्ट्रीममूल्यश्रृंखला, यानीइलेक्ट्रॉनिकघटक, सेमीकंडक्टर/डिस्प्लेनिर्माणइकाइयाँ, एटीएमपीइकाइयाँ, विशेषउप-असेंबलीऔरउपरोक्तवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएपूंजीगतसामानशामिलकरनेवालीइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओं कीपहचानकीगईसूचीकेलिएपूंजीगतव्ययपर 25% कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके। यहयोजना 31.03.2024 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहै।

5. **संशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना:**प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को सप्लाई चेन सहित देश में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने हेतुआकर्षितकरनेकेलिए रेडीबिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड / प्लगएंडप्लेजैसी सामान्य सुविधाओंके साथ विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु संशोधितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना 01 अप्रैल, 2020 कोअधिसूचितकीगईथी। इसयोजना के अंतर्गतदेशभरमेंईएमसीपरियोजनाओंऔरसामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) दोनोंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायतादी जातीहै। यहयोजनामार्च, 2024 तककीअवधिकेलिएआवेदनप्राप्ति हेतु खुली हैऔर मार्च, 2028 तक की आगे की अवधि में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियों का संवितरण किया जा सकता है।

6. **संशोधितविशेषप्रोत्साहनपैकेजयोजना (एम-एसआईपीएस) :**इलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणक्षेत्रमेंनिवेशआकर्षितकरनेऔरअक्षमताकीभरपाईकेलिएवित्तीयप्रोत्साहनप्रदान करनेहेतु 27 जुलाई, 2012 कोइसयोजनाकोअधिसूचितकियागयाथा[1] योजनाकीअवधिबढ़ाने, 15 औरउत्पादवर्टिकलकोशामिलकरकेयोजनाकादायराबढ़ानेऔरअधिकनिवेशआकर्षितकरनेकेलिएअ गस्त, 2015 मेंइसमेंसंशोधनकियागयाथा। निवेशमेंतेजीलानेकेलिएजनवरी, 2017 मेंइसयोजनामेंऔरसंशोधनकियागयाथा। यहयोजनापूंजीगतव्ययकेलिएसब्सिडीप्रदानकरतीहै - विशेषआर्थिकक्षेत्रों (एसईजेड) मेंनिवेशकेलिए 20% औरगैर-एसईजेडमें 25%। प्रोत्साहनइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंऔरघटकोंकी 44 श्रेणियों / वर्टिकलकेलिएउपलब्धहैं, जोसंपूर्णइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणमूल्यश्रृंखलाकोकवरकरतेहैं। यहयोजना 31.12.2018 तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीथीऔरकार्यान्वयनमोडमेंहै।

7. **इलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी) योजना**: निवेशआकर्षितकरनेकेलिएसामान्यसुविधाओंऔरसुख-सुविधाओंकेसाथ-साथविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकरनेहेतुइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणक्लस्टरयो जना 22 अक्टूबर, 2012 कोअधिसूचितकीगईथी। आवेदनप्राप्तकरनेकीअंतिमतिथि 21 अक्टूबर, 2017 थीऔरधनराशिकावितरणमार्च, 2026 तकलागूहै।

8. **इलेक्ट्रॉनिकीविकासनिधि (ईडीएफ)** : इलेक्ट्रॉनिकीविकासनिधि (ईडीएफ) कोपेशेवररूपसेप्रबंधित "डॉटरफंड्स" मेंभागलेनेकेलिए "फंडऑफफंड्स" केरूपमेंस्थापितकियागयाहै, जोबदलेमेंइलेक्ट्रॉनिकीऔरसूचनाप्रौद्योगिकी (आईटी) केक्षेत्रमेंनईतकनीकविकसितकरनेवालीस्टार्टअप्सऔरकंपनियोंकोजोखिमपूंजीप्रदानकरेगा। इसफंडसेइनप्रौद्योगिकीक्षेत्रमेंअनुसंधानएवंविकासऔरनवाचारकोबढ़ावामिलनेकीउम्मीदहै।

****